राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 12808/2021

1. लेफ्टिनेंट श्री मूल सिंह की पत्नी श्रीमती पार्वती देवी, उम्र लगभग 66 वर्ष

2. हजारी लाल पुत्र लेफ्टिनेंट श्री मूल सिंह, उम्र करीब 44 वर्ष

दोनों निवासी ग्राम आर्य नगर, पोस्ट थिचोली, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं।

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. निदेशक, (जी) और नोडल अधिकारी (पी.जी.), खान मंत्रालय, भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण विभाग, केंद्रीय मुख्यालय, 27, जे.एल. नेहरू रोड, कोलकाता-700016

2. अतिरिक्त महानिदेशक एवं विभागाध्यक्ष, पश्चिमी क्षेत्र, भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण, 15-16, झालाना डूंगरी, जयपुर-302004

3. उप-महानिदेशक, भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण, पश्चिमी क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से : श्री संजय मेहला

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से :

माननीय न्यायमूर्ति मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव

माननीय न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढंड

<u>आदेश</u>

<u>08.02.2022</u>

<u>(न्यायालय द्वारा: प्रति अनूप कुमार ढंड, न्यायमूर्ति)</u>

<u>रिपोर्टेबल</u>

याचिकाकर्तागण द्वारा मूल आवेदन संख्या 291/431/2017 में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जयपुर पीठ, जयपुर (संक्षेप में 'न्यायाधिकरण') द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.08.2021 को चुनौती दी गई है, जिसके तहत न्यायाधिकरण उनके द्वारा दायर मूल आवेदन को अपास्त कर दिया।

मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि याचिकाकर्ता संख्या 1 के पति मूल सिंह 'दरबान' के पद पर कार्यरत थे, जिनकी मृत्यु 19.05.2003 को हो गई थी। याचिकाकर्ता संख्या 1 ने बेटे अर्थात याचिकाकर्ता संख्या 2 हजारी लाल के लिए अनुकंपा नियुक्ति की मांग के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया। प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रत्यर्थीगण के मामले पर विचार करते समय, उन्हें पत्र/आदेश दिनांक 05/12.04.2005 द्वारा समूह "सी" और "डी" पदों पर सीधी भर्ती पर प्रतिबंध के बारे में सूचित किया गया था। इसके बाद फिर से, याचिकाकर्ता संख्या 2 ने प्रत्यर्थी संख्या 3 को उसी अनुरोध के साथ दिनांक 19.09.2005 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया और फिर 13.06.2006 को, प्रत्यर्थीगण-अधिकारियों ने याचिकाकर्तागण को सूचित किया कि समूह "सी" में कोई पद रिक्त नहीं है और प्रशासनिक अधिकारी, ग्रेड I, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र, के हस्ताक्षर से जारी आदेश दिनांक 04/05.10.2006 द्वारा याचिकाकर्ता संख्या 2 हजारी लाल को नियुक्ति से वंचित कर दिया और याचिकाकर्ता संख्या 2 को अनुकंपा नियुक्ति देने का मामला बंद कर दिया।

अनुकंपा नियुक्ति से इनकार करने के दस वर्ष से अधिक की अवधि के बाद, याचिकाकर्तागण ने फिर से याचिकाकर्ता संख्या 2 को अनुकंपा नियुक्ति देने की प्रार्थना के साथ स्थानीय संसद सदस्य सहित अधिकारियों को अभ्यावेदन देना शुरू कर दिया।

प्रत्यर्थीगण ने मामले पर फिर से विचार किया और याचिकाकर्तागण के दावे को यह कहकर अपास्त कर दिया कि याचिकाकर्ता संख्या 2 मृतक-कर्मचारी, लेफ्टिनेंट श्री मूल सिंह का विवाहित पुत्र है।

दिनांक 05/12.04.2005 और 13.06.2006 के आदेशों को चुनौती दिए बिना, याचिकाकर्तागण ने न्यायाधिकरण के समक्ष मूल आवेदन प्रस्तुत किया और दिनांक 12.09.2016 के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी कि उनके द्वारा आवेदन समय के भीतर प्रस्तुत किया गया था, लेकिन इसे अपास्त कर दिया गया था। प्रत्यर्थीगण ने न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 19.08.2021 के आदेश के तहत इस आधार पर कहा कि याचिकाकर्ता संख्या 2 मृतक-कर्मचारी का विवाहित पुत्र होने के कारण अनुकंपा नियुक्ति पाने का पात्र नहीं है। न्यायाधिकरण ने याचिकाकर्तागण के मूल आवेदन को इस आधार पर अपास्त कर दिया कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता संख्या 2 के अनुरोध पर इतने विलंबित चरण में विचार नहीं किया जा सकता है।

न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनांक 19.08.2021 के आक्षेपित आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, याचिकाकर्तागण ने इस न्यायालय के समक्ष यह याचिका दायर की है।

याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

रिट याचिका में वर्णित तथ्यों से यह पता चलता है कि मृतक कर्मचारी की मृत्यु 19.05.2003 को हुई थी, जब वह सेवा में था। इसके बाद याचिकाकर्तागण ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए वर्ष 2003 में याचिकाकर्ता संख्या 2 को आवेदन प्रस्तुत किया। याचिकाकर्ता संख्या 2 को प्रत्यर्थीगण ने दिनांक 05/12.04.2005 के आदेश के तहत यह कहकर नियुक्ति देने से इनकार कर दिया कि सीधी भर्ती पर प्रतिबंध है। समूह "सी" और "डी" पदों पर और अंततः 13.06.2006 को प्रत्यर्थीगण द्वारा यह दोहराते हुए मामला बंद कर दिया गया कि समूह "सी" में पद उपलब्ध नहीं हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्तागण ने दिनांक 05/12.04.2005 और 13.06.2006 के आदेशों को किसी भी सक्षम कानून मंच के समक्ष चुनौती देने की जहमत नहीं उठाई। इसके बाद, वे दस वर्ष बाद जागे और संबंधित अधिकारियों को अभ्यावेदन देना शुरू कर दिया। प्रत्यर्थीगण द्वारा फिर से उनके मामले पर पुनर्विचार किया गया लेकिन अनुकंपा नियुक्ति के लिए उनके दावे को दिनांक 12.09.2016 के आदेश द्वारा अस्वीकार कर दिया गया।

इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि वर्ष 2003 में, आवेदन अनुकंपा के आधार पर प्रस्तुत किया गया था जिसे क्रमशः वर्ष 2005 और 2006 में अपास्त कर दिया गया था, और इसे अंतिम रूप दे दिया गया है और उपरोक्त के बावजूद, याचिकाकर्तागण ने ऐसा नहीं किया।

दस वर्ष की सेवा-समाप्ति के बाद, याचिकाकर्तागण ने पुनर्विचार के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया और अनुकंपा नियुक्ति के लिए उनके मामले को प्रत्यर्थीगण ने दिनांक 12.09.2016 के आदेश के माध्यम से फिर से अस्वीकार कर दिया।

पहली बार, याचिकाकर्तागण ने न्यायाधिकरण के समक्ष पहले के आदेशों दिनांक 05/12.04.2005 और 13.06.2006 को चुनौती दिए बिना दिनांक 12.09.2016 के आदेश को चुनौती दी है। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता प्रत्यर्थीगण द्वारा जारी पहले के

आदेशों से संतुष्ट थे।

न्यायाधिकरण ने मामले पर विचार किया और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, याचिकाकर्तागण द्वारा दायर मूल आवेदन को निम्नानुसार अपास्त कर दिया:-

> "10. मामले का तथ्यात्मक मैट्रिक्स यह है कि आवेदक संख्या 1 के पति स्वर्गीय श्री मूल सिंह की 19.05.2003 को मृत्यु हो गई। पूर्व कर्मचारी की मृत्यु के समय, आवेदक संख्या 1 और आवेदक संख्या 2 पूरी तरह से उस पर निर्भर थे। आवेदक संख्या 2 के पास बी.ए. की योग्यता थी और इलेक्ट्रिकल्स में 3 वर्ष का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा था, अतः, आवेदक संख्या 1 ने निर्धारित अवधि के भीतर आवेदक संख्या 2 के लिए अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया और उसके बाद प्रत्यर्थी संख्या 3 ने आवेदन किया। दिनांक 26.08.2003 के पत्र के माध्यम से आवेदक को आवश्यक दस्तावेज जमा करने के लिए सूचित किया गया और दिनांक 27.04.2004 के पत्र के माध्यम से फिर से आवेदक से कुछ जानकारी प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। चूँकि, आवेदक क्रमांक 2 के पक्ष में कोई नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए गए थे, आवेदकों ने माननीय प्रधानमंत्री को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। मंत्री के साथ-साथ अध्यक्ष एससी/एसटी, जयपुर को भी उनके मामले की सिफारिश अध्यक्ष एससी/एसटी द्वारा की गई थी। लेकिन उस प्रासंगिक समय के बाद से ग्रुप सी और डी पद पर सीधी भर्ती पर प्रतिबंध था, इसकी सूचना अध्यक्ष को नहीं दी गई थी। इसके बाद कई अधिकारियों द्वारा आवेदकों के मामले की सिफारिश करते हुए प्रत्यर्थीगण को फिर से कई पत्र लिखे गए लेकिन कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। पुनः पत्र दिनांक 13.06.2006 द्वारा प्रत्यर्थीगण ने उत्तर दिया कि ग्रुप-सी में पद रिक्त नहीं हैं और अतः, आवेदक क्रमांक 2 को नियुक्ति देना संभव नहीं है। इसके बाद प्रत्यर्थीगण ने पत्र दिनांक 05.10.2006 के माध्यम से आवेदकों को सूचित किया कि अनुकंपा नियुक्ति पर मामला बंद हो गया है और अतः, आवेदक के मामले पर विचार करना संभव नहीं है

(अनुलग्नक-क/11)। इसके बाद आवेदकों द्वारा कई अधिकारियों को फिर से अभ्यावेदन दिया गया, जिन्होंने फिर से आवेदकों के मामले की सिफारिश की और पीएमओ कार्यालय के दिनांक 09.05.2016 के पत्र के अनुसार, प्रत्यर्थीगण को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। प्रशासनिक अधिकारी, निदेशक (जी) द्वारा आवेदकों के मामले की फिर से जांच करने और उचित कार्रवाई करने के लिए प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 को पत्र भी भेजा गया था और अंततः प्रत्यर्थी संख्या 1 ने दिनांक 12.09.2016 के आक्षेपित पत्र के माध्यम से आवेदक संख्या 2 को नियुक्ति से इनकार कर दिया। अनुकंपा के आधार पर और इसकी सूचना आवेदकों को पत्र दिनांक 26.10.2016 के माध्यम से इस आधार पर दी गई थी कि वह डीओपीटी ओएम संख्या 14014/2012 दिनांक 30.05.2016 के बिंदु संख्या 13 के मद्देनजर विवाहित व्यक्ति है ।

11. जैसाकि हमने देखा कि पूर्व कर्मचारी की मृत्यु 2003 में हुई थी और यह 2017 में ही हुई है, वर्तमान ओए आवेदकों द्वारा अनुकंपा नियुक्ति की मांग करते हुए दायर किया गया है, हालांकि, दिनांक 12.09.2016 (अनुलग्नक-क/1) के लागू आक्षेपित आदेश को चुनौती दी गई है जो निदेशक (जी) के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा आवेदकों के मामले की फिर से जांच करने का अनुरोध करते हुए दिनांक 09.08.2016 को लिखे गए पत्र का केवल उत्तर था। कार्रवाई का वास्तविक कारण 05.10.2006 को सामने आया जब प्रत्यर्थीगण ने आवेदकों को मामले को बंद करने के बारे में सूचित किया और कहा कि आवेदक को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति नहीं दी जा सकती। जैसाकि समय-सीमा पर देखा गया है, वर्तमान मूल आवेदन निराशाजनक रूप से समय-बाधित है, लेकिन हम योग्यता के आधार पर आते हैं और यह उजागर करना चाहते हैं कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने का उद्देश्य परिवार में रोटी कमाने वाले की मृत्यु के कारण होने वाली कठिनाई को कम करना है। आवेदक को केवल एक निर्दिष्ट कोटा के तहत नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का अधिकार है, भले ही वह सभी पात्रता मानदंडों को पूरा

करता हो और उपलब्ध पदों के सीमित कोटा के लिए कई प्रतिस्पर्धी आवेदकों में से सबसे योग्य का चयन किया गया हो। इसके अलावा, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति को अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। यद्यपि हम आवेदक को अनुकंपा नियुक्ति से इनकार करने में प्रत्यर्थीगण द्वारा दिए गए कारण से संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन देखा जाए तो पूर्व कर्मचारी की मृत्यु 2003 में हो गई थी और परिवार कई वर्षों तक अपना भरण-पोषण करने में सक्षम था और केवल उच्च अधिकारियों को अभ्यावेदन दे रहा था और वे अनुशंसा करते हैं कि आवेदकों के मामले में आवेदक को नियुक्ति प्रदान नहीं की जा सकती। अतः हम देश भर की संवैधानिक न्यायालयों द्वारा तय किए गए विधिक सिद्धांतों के मद्देनजर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने के लिए आवेदकों के मामले पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं। एक अपवाद होने के नाते, योजना को सख्ती से समझा जाना चाहिए और केवल उस उद्देश्य तक ही सीमित होना चाहिए जिसे वह प्राप्त करना चाहती है। नियुक्ति की इस श्रेणी को एक निश्चित अवधि के बाद अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है, जब संकट खत्म हो जाता है और कई वर्षों के अंतराल के बाद गरीबी की परिस्थितियाँ निश्चित रूप से समाप्त हो जाती हैं। आवेदक द्वारा चुनौती में उठाए गए आधारों को ठोस नहीं पाए जाने के कारण उन पर विचार नहीं किया जा सकता है।"

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा "पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य बनाम निर्वल सिंह, (2019) 6 एससीसी 774" के मामले में भी यह माना गया है कि दावे को आगे बढ़ाने/न्यायालय में अनुकंपा नियुक्ति के दावे के विरुद्ध, जाने में देरी कम हो जाएगी क्योंकि परिवार को तत्काल राहत प्रदान करने का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा।

उक्त मामले में, न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में सात वर्ष की देरी हुई, इस प्रकार, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि "देरी के आधार पर, मृत कर्मचारी का उत्तराधिकारी अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।"

"जम्मू एवं कश्मीर राज्य बनाम सज्जाद अहमद मीर (2006) 5 एससीसी 766 में प्रकाशित" मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के मामले में देरी पर विचार किया है। मृत कर्मचारी की मृत्यु के साढ़े चार वर्ष की अवधि के बाद किए गए अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के दावे को अपास्त करते हुए यह माना गया कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति सामान्य नियम का अपवाद है। सार्वजनिक कार्यालयों में नियुक्ति प्रतिस्पर्धी योग्यताओं के आधार पर की जानी चाहिए। आगे यह देखा गया कि एक बार यह सिद्ध हो गया कि कमाने वाले की मृत्यु के बावजूद, परिवार जीवित रहा और पर्याप्त अवधि समाप्त हो गई, तो शासनादेश की अनदेखी करते हुए कई अन्य लोगों के हितों की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

यहां तक कि उमेश कुमार नागपाल बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य (1994) 4 एससीसी 138, के मामले में भी, माननीय उच्चतम न्यायालय ने माना है कि उचित अवधि की सेवा-समाप्ति के बाद अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती है जिसे नियमों में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। ऐसे रोजगार पर विचार करना कोई निहित अधिकार नहीं है जिसका प्रयोग भविष्य में किसी भी समय किया जा सकता है। इसका उद्देश्य परिवार को उस वित्तीय संकट से उबरने में सक्षम बनाना है जिसका सामना वह एकमात्र कमाने वाले की मृत्यु के समय करता है, अनुकंपा रोजगार का दावा नहीं किया जा सकता है और न ही समय बीतने के बाद और संकट समाप्त होने के बाद इसकी पेशकश की जा सकती है।

इसी तरह, इंडियन बैंक और अन्य बनाम प्रोमिला और अन्य (2020) 2 एससीसी 729 में प्रकाशित, के मामले में, यह माना गया है कि हालांकि, न्यायालय को मृतक की मृत्यु पर हुई कठिनाइयों के बारे में प्रत्यर्थीगण के साथ सहानुभूति है, लेकिन अकेले सहानुभूति प्रत्यर्थीगण को उपाय नहीं दे सकती है और यह न्यायालयों के लिए विकल्प नहीं है।

"श्रीमती सुषमा गोसाईं बनाम भारत संघ एवं अन्य (1989) 4 एससीसी 468" के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के सभी दावों में, नियुक्ति में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने का उद्देश्य परिवार में कमाने वाले की मृत्यु के कारण होने वाली कठिनाई को कम करना है।

2019 की सिविल अपील संख्या 2425 के तहत "भारत सरकार और अन्य बनाम

पी. वेंकटेश" के मामले में 01.03.2019 को निर्णय लिया गया, माननीय उच्चतम न्यायालय ने माना है कि "बार-बार अभ्यावेदन से संबंधित एक समान मामले पर विचार करते समय अनुकंपा नियुक्ति का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया गया है और न्यायालय ने उक्त अभ्यावेदन पर निर्णय लेने का निर्देश देते हुए माना है कि अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य मृत कर्मचारी के परिवार को उस संकट से निपटने में सक्षम बनाना है जो मृत्यु के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ है। दावे का सार आवश्यकता की तात्कालिकता में निहित है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त पर विचार करने के बाद, अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन को अपास्त कर दिया, जहां संबंधित व्यक्ति ने एक अवधि के बाद न्यायाधिकरण से संपर्क किया था।

वर्तमान मामले में भी, जैसाकि पहले ही ऊपर बताया जा चुका है, याचिकाकर्तागण ने संबंधित कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से लगभग 13 वर्ष बीत जाने के बाद न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया। पी. वेंकटेश (सुप्रा.) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियाँ तत्काल मामले के तथ्यों के साथ पूरी तरह से लागू होती हैं। सुविधा के लिए, पी. वेंकटेश (सुप्रा.) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई प्रासंगिक टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:

> "प्रस्तुति को स्वीकार करने में प्राथमिक कठिनाई, जो उच्च न्यायालय के साथ वजनदार थी, और इन कार्यवाहियों में प्रत्यर्थीगण की ओर से दोहराई गई थी, बस यही है; अनुकंपा नियुक्ति, यह अच्छी तरह से तय है, इसका उद्देश्य पीड़ित के परिवार को सक्षम बनाना है एक मृत कर्मचारी को उस संकट से उबरने के लिए, जो काम करते समय एक कर्मचारी की मृत्यु के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है। दावे का सार आवश्यकता की तात्कालिकता में निहित है। यदि वर्तमान मामले के तथ्यों को देखा जाए, तो यह है स्पष्ट है कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का पहला सहारा कर्मचारी की मृत्यु के लगभग 11 वर्ष बाद 2007 में था। इस बीच, अभ्यावेदन को 3 जनवरी 1997 को अपास्त कर दिया गया था। दुर्भाग्य से, न्यायाधिकरण ने एक उत्तराधिकार पारित किया अपीलार्थीगण को अनुकंपा नियुक्ति के लिए अभ्यावेदन पर विचार करने और फिर से विचार करने के लिए कहने

वाले आदेशों का 13 नवंबर 2007 को केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा अभ्यावेदन को अपास्त करने के बाद, 2010 में ही न्यायाधिकरण को फिर से स्थानांतरित किया गया था। अभ्यावेदन पर पुनर्विचार के लिए न्यायाधिकरण के ये लगातार आदेश मृत कर्मचारी की मृत्यु के एक दशक बाद अनुकंपा नियुक्ति के लिए न्यायाधिकरण में जाने में प्रारंभिक देरी के प्रभाव को खत्म नहीं कर सकते हैं। यह 'प्रतिनिधित्व का निपटान' मंत्र तेजी से उच्च न्यायालयों और न्यायाधिकरणों में न्यायिक प्रक्रिया में व्याप्त हो रहा है। इस तरह के आदेश अत्यधिक बोझ वाले न्यायिक संस्थानों में मामलों का त्वरित या आसान निपटान कर सकते हैं। लेकिन, वे न्याय के हित में काम नहीं करते। जैसाकि मामले से पता चलता है, वादी फिर से न्यायालय के समक्ष वापस आ गया है, उसे अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ा है और विधिक प्रक्रिया में देरी का सामना करना पड़ा है। पहली बार में जवाबी कार्रवाई का आह्वान करके इसे टाला जा सकता था, जिसके परिणामस्वरूप विवाद का अंत हो जाता। जब उच्च न्यायालय ने 9 अगस्त 2016 को अपना निर्देश जारी किया, तब तक कर्मचारी की मृत्यु की तारीख को लगभग इक्कीस वर्ष बीत चुके थे।

रिकॉर्ड पर उपलब्ध दलीलों और दस्तावेजों के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि मृतक कर्मचारी की मृत्यु 19.05.2003 को हो गई और अनुकंपा नियुक्ति के लिए याचिकाकर्तागण का दावा 05/12.04.2005 और 13.06.2006 को दो बार अपास्त कर दिया गया था। याचिकाकर्ता दस वर्ष तक चुप रहे और दस वर्ष बीत जाने के बाद, उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति के लिए अपने दावे को पुनर्जीवित करने के लिए वर्ष 2016 में संबंधित अधिकारियों को इसी तरह का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसे 12.09.2016 को प्रत्यर्थीगण द्वारा फिर से अपास्त कर दिया गया।

इसमें कोई विवाद नहीं है कि 05/12.04.2005 और 13.06.2006 के पहले के आदेशों को याचिकाकर्तागण द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती नहीं दी गई है, जो अंतिम रूप ले चुके हैं।

रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री को देखते हुए, और पूर्वगामी पैराग्राफ में संदर्भित

निर्णयों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को लागू करने के बाद, हमारी सुविचारित राय है कि याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता द्वारा रखी गई दलीलें सही हैं। इसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि बाद के अभ्यावेदन एक दशक के बाद दिए गए थे। इस प्रकार, यह न्यायालय 17 वर्षों की बड़ी अवधि के बाद अनुकंपा नियुक्ति के लिए याचिकाकर्तागण के दावे को स्वीकार करने में सक्षम नहीं है। इस प्रकार, न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनांक 19.08.2021 का आक्षेपित आदेश इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देता है।

परिणामस्वरूप, याचिकाकर्तागण द्वारा दायर रिट याचिका बिना किसी तथ्य के है और तदनुसार, अपास्त की जाती है।

लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा कर दिया गया है।

(अनूप कुमार ढंड), न्यायमूर्ति **(मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव), न्यायमूर्ति**

HEENA GANDHI/5

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल**,** द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।